निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 कार्तिक 1939 (श0)

(सं0 पटना 1032) पटना, मंगलवार, 7 नवम्बर 2017

सं० 08/आरोप–01–84/2014,सा०प्र०–11016
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

29 अगस्त 2017

श्री प्रमोद कुमार, बि०प्र०से०, कोटि क्रमांक–825/11 के विरूद्ध जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, रोहतास के पदस्थापन काल से संबंधित प्रतिवेदित आरोपों (धान अधिप्राप्ति कार्य के नोडल पदाधिकारी के रूप में पर्यवेक्षण में अभिरूचि नहीं लेने) पर कार्रवाई करते हुए संकल्प ज्ञापांक–7445, दिनांक 20.05.2015 द्वारा उन्हें निलंबित किया गया तथा संकल्प ज्ञापांक–7446, दिनांक 20.05.2015 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में विभागीय पत्रांक–3588, दिनांक 09.03.2016 द्वारा श्री कुमार से बचाव बयान/लिखित अभिकथन माँगा गया। इस क्रम में प्राप्त लिखित अभिकथन (दिनांक 16.03.2016) की समीक्षा के उपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–7012, दिनांक 17.05.2016 द्वारा श्री कुमार को निलंबन मुक्त किया गया। आरोप के कतिपय बिन्दुओं पर संचालन पदाधिकारी के मंतव्य को स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार की असहमति के विन्दुओं पर विभागीय पत्रांक–7023, दिनांक 17.05.2016 द्वारा श्री कुमार से पुनः लिखित अभिकथन माँगा गया। इस क्रम में उन्होंने अपना लिखित अभिकथन (दिनांक 06.07.2016) समर्पित किया। समीक्षोपरांत अधिप्राप्ति किये गये धान के विरूद्ध चावल की एक बड़ी मात्रा के गबन में नोडल पदाधिकारी के रूप में श्री कुमार द्वारा दायित्व निर्वहन में यथेष्ठ अभिरूचि नहीं लिये जाने संबंधी प्रमाणित आरोपों के आधार पर **तीन वेतन वृद्वियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक** का दंड विनिश्चित करते हुए बिहार लोक सेवा आयोग से मंतव्य प्राप्त किया गया। तदुपरांत विभागीय संकल्प ज्ञापांक–224 दिनांक 10.01.2017 द्वारा श्री कुमार को **तीन वेतन वृद्वियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक** संबंधी शास्ति संसूचित किया गया। इसके साथ ही दंडादेश की कंडिका–6 के अनुपालन में उनके निलंबन अवधि (दिनांक 20.05.2015 से दिनांक 17.05.2016) पर निर्णय हेतु विभागीय पत्रांक–447 दिनांक 13.01.2017 द्वारा कारण पृच्छा की गयी।

2. सम्प्रति इस क्रम में श्री प्रमोद कुमार, अपर समाहर्त्ता, लोक शिकायत निवारण–सह– जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, वैशाली (हाजीपुर) का स्पष्टीकरण (दिनांक 09.03.2017) प्राप्त हुआ जिसमें उन्होने निलंबन की कार्रवाई को अनुचित तथा विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप प्रमाणित नहीं दर्शाये जाने के आधार पर विभाग द्वारा संसूचित दंड को नैसर्गिक न्याय के विरूद्ध बताया। इन तथ्यों के आधार पर श्री कुमार ने दंडादेश को समाप्त करते हुए निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन भुगतान का अनुरोध किया।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण (दिनांक 09.03.2017) की समीक्षा में यह पाया गया कि इसमें औपचारिक रूप से पुनर्विलोकन आवेदन दाखिल करने का तथ्य अंकित नहीं किया गया जबकि निलंबन अवधि के पूर्ण वेतन भुगतान के साथ–साथ विभागीय दंडादेश समाप्त करने का भी अनुरोध निहित है। इसमें श्री कुमार ने मूल रूप से अपने स्पष्टीकरण

पर जिला पदाधिकारी, रोहतास के सहमत एवं संतुष्ट होने का तथ्य प्रस्तुत करते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का औचित्य नहीं होने की बात कही है। वस्तुतः धान अधिप्राप्ति के नोडल पदाधिकारी के रूप में श्री कुमार द्वारा सम्यक् रूप से दायित्व निर्वहन नहीं किये जाने से रोहतास जिले में उक्त योजना विफल हुई। राजस्व की क्षति के इस मामले में मिलरों को उनकी क्षमता से अधिक धान दिये जाने का तथ्य भी उजागर हुआ। इस क्रम में श्री कुमार नोडल पदाधिकारी के रूप में समुचित रूप से दायित्व निर्वहन करने, उक्त अनियमितता को रोकने हेतु अपने स्तर से सार्थक प्रयास करने संबंधी आधार प्रस्तुत नहीं कर सके। अपने स्पष्टीकरण में भी उन्होने ऐसा कोई तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। इस आलोक में श्री कुमार का स्पष्टीकरण/पुनर्विलोकन आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

अतएव सम्यक् विचारोपरांत संकल्प ज्ञापांक–224 दिनांक 10.01.2017 द्वारा पारित दंडादेश (तीन वेतन वृद्धियों पर संचयात्मक प्रभाव से रोक) को यथावत् रखते हुए श्री कुमार के निलंबन अवधि (दिनांक 20.05.2015 से दिनांक 17.05.2016) के संबंध में निम्नवत् आदेश पारित किया जाता है :–

''निलबंन अवधि के लिए जीवन–यापन भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। परन्तु अन्य प्रयोजनों के लिए यह सेवावधि के रूप में मान्य होगी।''

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
राम बिशुन राय,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 1032-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in